In the Court of Additional Sessions Judge-II,
Vaishali at Hajipur.

Sessions Trial No. 221/2024

22-04-2024 पीठासीन पदाधिकारी द्वारा आज V.C. operator श्री पवन कुमार के मोबाईल के माध्यम से संबंधित कारा हाजीपुर को लिंक भेजा और वहॉ उपस्थित जेल के सहायक अधीक्षक, श्रीमति सालिनी से V.C. के माध्यम से Charge framing के पूर्व V.C rules के अनुसार ध्वनि एवं फोटो तथा अभियुक्त के पहचान को भी सुनिश्चित किया गया।

सभी (6) अभियुक्तो में से (4) काराधीन अभियुक्त दिनेश प्रसाद सिंह, सुरेश प्रसाद सिंह, अश्वनी सिंह उर्फ मुन्ना सिंह एवं अजीत कुमार सिंह को हाजीपुर कारा से V.C. के माध्यम से उपस्थापना कराया गया। शेष (2) अभियुक्त सावित्री देवी एवं गुड्डी देवी की हाजरी दी गयी।

आरोप के बिन्दु पर उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभियुक्तो के विरूद्ध धारा 341/34, 323/34, 302/34, भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए आरोप गठन किया गया तथा हिन्दी में सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण अपने को निर्दोष बताऍ एवं विचारण की मॉग किये। **कार्यालय आरोप पत्र** में नामित साक्षियों के विरूद्ध साक्ष्य हेतु सम्मन निर्गत करें तथा अभियोजन अपने माध्यम से भी साक्षी प्रस्तुत करें। **कार्यालय को यह भी निर्देश** दिया जाता हैं कि आरोप गठित होने की सूचना पुलिस अधीक्षक, कार्यालय, वैशाली को करे तथा आरोप पत्र में नामित साक्षियो को प्रस्तुत करने हेतु इस आदेश फलक की एक प्रति कार्यालय तत्काल प्रेषित करे दे ताकि निश्चित तिथियों पर उनकी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सके।

दिनांक 06.05.2024 साक्ष्य हेतु

ले0

A.D.J-II

Web copy not official